

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक 257/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-17(गौतम०)/०३

दिनांक: जनवरी 2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स मार्ट प्रमोटर्स प्रा०लि० द्वारा प्लॉट न० सी०-03, सेक्टर-16बी०, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित कॉमर्शियल भवन (बिजनेस, मर्केन्टाइल, एसेम्बली एवं आवासीय भवन) मिक्स ऑक्यूपेन्सी भवन के मानचित्रों पर अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2017/37888/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/7750/जे०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से मानचित्र संलग्न कर प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3 ग्रेटर नौएडा श्री शोषनाथ यादव से मानचित्रों का परीक्षण कराया गया तथा उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 25-12-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरुण कुमार सिंह को प्रेषित की गयी जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 27-12-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी पत्रावली का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-  
क-भवन की संरचना:-कुल प्लॉट एरिया-11,777.22 वर्ग मी० है, जिसमें प्रस्तावित तलों का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्र०स०	तलों का विवरण	प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्ग मी०।	अधिभोग विवरण
01	लोअर ग्राउण्ड	5374.12	शॉप्स
02	अपर ग्राउण्ड	4405.69	शॉप्स
03	प्रथम तल	4222.52	शॉप्स
04	द्वितीय तल	4423.47	शॉप्स
05	तृतीय तल	4347.87	शॉप्स एवं हॉल
06	चतुर्थ तल	3060.94	ऑडिज
07	पंचवां तल	4102.00	ऑडिज
08	छटवां तल	4565.47	(सर्विस फ्लोर)
09	सातवां तल	1571.09	हॉल
10	आठवां तल	1090.48	हॉल
11	नौवां तल	897.93	हॉल
12	दसवां तल	1054.97	हॉल
13	ग्यारहवां तल	1137.19	(सर्विस फ्लोर)
14	बारहवां तल	803.81	गेस्ट रूम
15	तेरहवां तल	765.07	गेस्ट रूम
16	चौदहवां तल	671.46	गेस्ट रूम
17	पन्द्रहवां तल	671.46	गेस्ट रूम
18	सोलहवां तल	788.46	(सर्विस फ्लोर)
19	सत्रहवां तल	388.95	हॉल
20	लोअर एवं अपर बेसमेन्ट	9312.37 प्रत्येक।	पार्किंग प्रत्येक।
21	भवन की ऊँचाई:-84.60 मीटर।		

ख-भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन०बी०सी०-2016 की कॉमर्शियल (बिजनेस, मर्केन्टाइल, एसेम्बली एवं आवासीय भवन) मिक्स ऑक्यूपेन्सी भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ग-दोचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 130.00 मीटर मी० रोड एवं दूसरी तरफ भी 24.00 मी० रोड की चौड़ाई अंकित की गई है जो मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रस्तावित भवन में 02 अदद प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौड़ाई 06.00 मी० प्रत्येक मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

3-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग--15.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग--07.50 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम--07.50 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय--07.50 मी० प्रस्तावित है।

(संयुक्त निदेशक)

उपरोक्तनुसार प्रस्तावित भवन के सैटबैक भवन विनियमावली-2010 मानक के अनुसार है। तथा अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन के लोअर/अपर बेसमेन्ट एवं लोअर ग्राउण्ड तल तक 05 स्टेयरकेस एवं अपर ग्राउण्ड से सातवें तल तक 07 स्टेयरकेस तथा आठवें तल से सत्रहवें तल तक 02 स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 02.00 मी0 प्रत्येक प्रस्तावित है। तथा बेसमेन्ट में 02 अतिरिक्त रैम्प जिनकी चौड़ाई 04.50 मी0 का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। तथा समस्त स्टेयरकेस एनक्लोजर सहित फायर चैक डोर एवं अन्य ओपनिंग 02 घण्टे तापरोधी क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी स्टेयर नैचुरली वेंटीलेटिड रखी जाये एवं फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्रूज एरिया:- प्रस्तावित भवन में 04वें, 05वें, 08वें, 12वें एवं 17वें तल पर रिफ्रूज एरिया का प्राविधान मानकों के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित वॉच्छनीय अग्निशमन व्यवस्थाएँ प्राविधानित है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत टैंक:- भूमिगत टैंक 2,75,000 दो लाख पिचत्तर हजार ली0, क्षमता का नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

3-पम्पस:- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास में पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता, तथा 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता के मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने एवं 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का करटने पम्प प्राविधानित है।

4-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 लीटर क्षमता का एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में वेटराइजर एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

6-यार्ड हार्डड्रेण्टस:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में रिंग लाइन, यार्ड हार्डड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

7-आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

8-मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

9-आटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधानित है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

13-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 2016 के प्रस्तर संख्या-4.5 के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

15-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 के भाग-4 के बिन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

16-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्कैप लाईटिंग एन0बी0सी0-2016 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।


17-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

18-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत्र से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुशिक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वाछनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स मार्ट प्रमोटर्स प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 सी0-03, सेक्टर-16बी0, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित कॉमर्शियल भवन (बिजनेस, मर्केन्टाइल, एसेम्बली एवं आवासीय भवन) मिक्स ऑक्यूपेन्सी भवन के मानचित्रों पर अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

  
(अरविन्द कुमार)  
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,  
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

4-मैसर्स मार्ट प्रमोटर्स प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट न0 सी0-03, सेक्टर-16बी0, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।